न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 25 / 2023

वादीगणः–

1. भारतसिंह पुत्र गणपतसिंह
2. श्रीमति उदयकंवर पत्नी गणपतसिंह जातियान राजपूत निवासीगण खारिया मीठापुर हाल निवास रामगढ तहसील तिंवरी जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीः–

1. माधूसिंह पुत्र चैनसिंह के कायम मुकामः–
   1/1 श्रीमति बाल कंवर पत्नी माधुसिंह जाति राजपूत निवासी भदावतों की ढाणी ग्ग्रम रामगढ पोस्ट जेलूगगाडी तहसील तिंवरी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः–वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री प्रकाश राठौड एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 2 – सरकारी पेरोकार।

दिनांकः– 5/2/25.

निर्णय

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1246 रकबा 0. 6472 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.1618 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 रकंबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.4045 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.9982 हैक्टेयर आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति गणपतसिंह पुत्र चौनसिंह का 1/12 वॉ हक व हिस्सा था। इसी प्रकार ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 1. 7960 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.6940 हैक्टेयर आयी हुयी है.। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति गणपतसिंह पुत्र चौनसिंह का 2093/290200 वॉ हक व हिस्सा था। इसी प्रकार ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टेयर आयी हुयी है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पत्ति गणपतसिंह पुत्र चौनसिंह का 2093/290200 वॉ हक व हिस्सा था। वादपत्र के पद 4 में वर्णित सजरा खानदान के अनुसार वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति गणपतसिंह का दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में 1/12 वॉ हिस्सा तथा दावे के पद संख्या-2 में वर्णित भूमि में 2093/290200 वां हिस्सा तथा पद संख्या-3 में वर्णित भूमि में 2093/290200 वां हिस्सा है। संयुक्त खातेदार गणपतसिंह का देहान्त दिनांक 28.03.2022 को हो गया। सयुक्त खातेदार गणपतसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में स्वीकृत नही किया गया है। संयुक्त खातेदार गणपतसिंह के प्रथम श्रेणी के उतराधिकारी उसके एक पुत्र वादी संख्या 1 भारतसिंह तथा उसकी पत्नी वादी संख्या 2 उदयकंवर है। इनके अलावा अन्य कोई वारिशान गणपतसिह के नहीं है। अतः वादीगण गणपतसिंह के वारिशान होने के कारण उनकी खातेदारी भूमि को अपने नाम से घोषित कराने के अधिकारी है। वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति को घर में लाड प्यार से पदमसिंह पुकारते थे और वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति का सरकारी दस्तावेज में उनका नाम गणपतसिंह लिखा हुआ है। जब वादी संख्या 1 के दादा व वादी संख्या 2 के ससुर चौनसिंह जी फौत हुये तब हल्का पटवारी ने भूलवश या त्रुटीवश उनका फौतेदगी नामान्तरकरण में वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति गणपतसिंह का नाम पदमसिंह भूलवश या त्रुटीवश लिख दिया गया जबकि सरकारी दस्तावेजो के अनुसार उनका वास्तविक नाम गणपतसिह है। वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति के पति गणपतसिंह के देहान्त के बाद उनकी खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गये और अपने पिता व पति की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी जी से निवेदन किया और अपने सरकारी दस्तावेज आधारकार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज दिये लेकिन हल्का पटवारी जी ने उपरोक्त दस्तावेज देखकर बताया कि आपके पिता व पति का नाम गणपतसिह लिखा हुआ है, जबकि जमाबन्दी में पदमसिंह नाम लिखा हुआ है. जिस पर वादीगण तहसील कार्यालय गये और अपने पिता व पति गणपतसिंह का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु तहसीलदार जी से निवेदन रेकर्ड व सरकारी दस्तावेज देखकर वादीगण को कहा कि आपके पिता व पति का जमाबन्दी में नाम गलत दर्ज हो गया है, इस कारण आप न्यायालय से सक्षम दावा पेश करके ही शुद्धि की कार्यवाही को करावे न्यायालय निर्णय के अनुसार आपके नाम की भूमि दर्ज की जायेगी, इस कारण वादीगण को राजस्व रेकर्ड में अपने पिता व पति पदमसिंह के स्थान पर गणपतसिंह नाम की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने हेतु का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

यह दावा पेश करना पड़ रहा है। वादीगण का पहचान पत्र, राशनकार्ड, आधारकार्ड आदि सरकारी दस्तावेजो में अपने पिता का नाम गणपतसिंह दर्ज किया हुआ है। वादीगण को अपने पिता व पति की खातेदारी भूमि का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत की कार्यवाही नही हो पा रही है, जिसके कारण वादीगण अपनी भूमि पर ऋण नहीं ले सकते है और न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते है एवं न ही अपने पिता व पति की खातेदारी भूमि को बैचान इत्यादि कर सकते है, इस कारण वादीगण अपने पिता व पति की खातेदारी भूमि को घोषणा के जरिये शुद्धि करवाने के अधिकारी है। विवादित भूमि में किसी भी संयुक्त पक्षकार का कोई हिस्सा प्रभावित नही होता है, इस कारण दावे में उनको पक्षकार नही बनाया गया है तथा न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 2 का कोई हिस्सा प्रभावित होता है। विवादित भूमि पर वादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे है। वाद कारण जब वादी संख्या 1 के पिता व वादी संख्या 2 के पति गणपतसिंह का देहान्त दिनांक 28.03.2022 को हुआ, उस समय उनके देहान्त का फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर तथा वादीगण अभी दिनांक 01.03.2023 को तहसीलदार बिलाड़ा के कार्यालय में गये – और राजस्व रेकर्ड में अपने पिता व पति की खातेदारी भूमि को अपने नाम से दर्ज कराने हेतु का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने जमाबन्दी में गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया। वादीगण को वादकारण ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा मे पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1246 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.1618 हैक्टेंयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.2103 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.1214 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.4530 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 93 रकबा 0.4045 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.9982 हैक्टेयर में दर्ज 1/12 वाँ हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार पदमसिंह पुत्र चौनसिह के स्थान पर वादी संख्या–1 से 2 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे। ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 104 रकबा 1.7960 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 42 रकबा 0. 0162 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 76 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.1456 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.0485 हैक्टेयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.6940 हैक्टेयर में दर्ज 2093/290200 वाँ हिस्सा के राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार पदमसिंह पुत्र चौनसिह के स्थान पर वादी संख्या–1 से 2 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे । ग्राम खारिया मिठापुर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 2241 /103 रकबा 20.7832 हैक्टेयर में दर्ज 2093/290200 वाँ हिस्सा के

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

राजस्व रेकर्ड में दर्ज सयुक्त खातेदार पदमसिंह पुत्र चौनसिह के स्थान पर वादी संख्या–1 से 2 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि घोषित की जाने का आदेश फरमावे ।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री प्रकाश राठौड अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब दावा पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पद सं. 1 से 3 सही होने से स्वीकार है। संयुक्त खातेदार गणपतसिंह का देहान्त हो चुका है। संयुक्त खातेदार गणपतसिंह के एक पुत्र भारतसिंह व उसकी पत्नी उदयकंवर है इनके अलावा अन्य कोई वारिशान नहीं है। वादी सं. 1 के पिता व वादी सं. 2 के पति को घर में लाड प्यार से पदमसिंह पुकारते है। जबकि उनका सरकारी दस्तावेज में गणपतसिह नाम दर्ज है। पदमसिंह व गणपतसिंह एक ही व्यक्ति है। जो चैनसिंह का जायन्दा पुत्र है। प्रतिवादी का कोई हिस्सा प्रभावित नहीं होता है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने का आदेश फरमावें। प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर के चालू जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 के खाता नं. 1369 में खसरा नंबर 74, 75, 80, 82, 83 कुल 5 रकबा 1.3510 हैक्टयर किस्म चाही अलीफ में पदमसिंह पुत्र चैनसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम खारिया मीठापुर के चालू जमाबंदी चौसाला संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 213 में खसरा नंबर 104, 42, 76, 77, 78, 79 कुल 6 रकबा 2.6940 हैक्टयर में पदमसिंह पुत्र चैनसिंह 2093/290200 हिस्सा जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। ग्राम खारिया मीठापुर के चालू जमाबंदी चौसाला संवत् 2076 से 2079 के खाता नं. 1339 खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर किस्म बा.प्रथम में पदमसिंह पुत्र चैनसिंह 2093/290200 जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। ग्राम खारिया मीठापुर के चालू जमाबंदी चौसाला संवत 2076 से 2079 के खाता नं. 932 खसरा नंबर 1246 रकबा 0.6472 हैक्टयर किस्म बा.प्रथम में पदमसिंह पुत्र चैनसिंह 1/12 हिस्सा जाति राजपूत सा.देह खातेदार दर्ज है। उपरोक्त खसरान में वक्त बन्दोबस्त से पदमसिंह पुत्र चैनसिंह जाति राजपूत दर्ज है। जो आज दिनांक तक राजस्व रेकर्ड में चला आ रहा है। वादीगण द्वारा अपने पिता/पति के सरकारी दस्तावेज राशनकार्ड पहचानकार्ड, आधारकार्ड इत्यादि प्रस्तुत कर सही नाम गणपतसिह होना बताया, जबकि राजस्व रेकर्ड में पदमसिंह है। वादीगण के पिता/पति की दिनांक 28.03.2022 को मृत्यु हो चुकी है। वादीगण अपने पिता/पति का विरासत नामान्तरकरण भरवाना चाहते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नंबर 93 रकबा 0.4045 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.9982 हैक्टयर में 1/2 हिस्सा, व खसरा नंबर 104 रकबा 1.7960 हैक्टयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नंबर 76 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नंबर 79 रकबा 0.0485 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.6940 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 हिस्सा, व खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 वां हिस्से के राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदार पदमसिंह पुत्र चैनसिंह के स्थान पर वादी सं. 1 व 2 भारतसिंह पुत्र गणपतसिंह, श्रीमति उदयकंवर पत्नी गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया मीठापुर की खातेदारी घोषणा किये जाने मे भूमिधारी की सहमति है। न्यायालय हाजा द्वारा गणपतसिंह के सजरा के लिए जारी पत्रांक 804 दिनांक 19.09.2024 की पालना में तहसीलदार बिलाडा ने तहसीलदार तिंवरी जिला जोधपुर द्वारा वारिसानों की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित की जिसके अनुसार मृतक खातेदार गणपतसिंह के वारिसान भारतसिंह पुत्र गणपतसिंह व उदयकंवर पत्नी गणपतसिंह को बताया गया। प्रतिवादीगण की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र भारतसिह पुत्र गणपतसिंह का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 खसरा नंबर 104, 42, 76, 77, 78, 79 ग्राम खारिया मीठापुर , प्रदर्श 2 आधारकार्ड भारतसिंह, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र गणपतसिंह, प्रदर्श 4 आधार कार्ड गणपतसिंह, प्रदर्श 5 बैंक डायरी भारतिसंह के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड गणपतसिह पुत्र चैनसिंह, प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र गणपतसिंह पुत्र चैनसिंह, प्रदर्श 3 परिवार राशन कार्ड गणपत सिंह पुत्र चैनासिह, प्रदर्श 4 आधार कार्ड भारतसिंह पुत्र गणपतसिंह, प्रदर्श 5 परिवार राशनकार्ड भारतसिंह पुत्र गणपत सिंह, प्रदर्श 6 एसबीआई बैंक डायरी भारतसिंह पुत्र गणएतसिंह, प्रदर्श 7 आधार कार्ड उदयकंवर पत्नी गणपतसिंह आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादीगण के सरकारी दस्तावेजात में वादीगण के पिता/पति का नाम गणपतसिंह पुत्र चैनसिंह दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादीगण के पिता/पति का नाम पदमसिंह पुत्र चैनसिंह के नाम से दर्ज है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादीगण अपने पिता/पति का नाम राजस्व रेकर्ड में गणपतसिंह पुत्र चैनसिंह की घोषणा करवाकर विरासत नामान्तरकरण भरवाने का अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा के खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

नंबर 1246 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नंबर 74 रकबा 0.1618 हैक्टयर, खसरा नंबर 75 रकबा 0.2103 हैक्टयर, खसरा नंबर 80 रकबा 0.1214 हैक्टयर, खसरा नंबर 82 रकबा 0.4530 हैक्टयर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.4045 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.9982 हैक्टयर में 1/12 हिस्सा, व खसरा नंबर 104 रकबा 1.7960 हैक्टयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नंबर 76 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नंबर 79 रकबा 0.0485 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.6940 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 हिस्सा, व खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 वां हिस्से के राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदार पदमसिंह पुत्र चैनसिंह के स्थान पर वादी सं. 1 व 2 भारतसिंह पुत्र गणपतसिंह, श्रीमति उदयकंवर पत्नी गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया मीठापुर की खातेदारी घोषणा किये जाने की सहमति प्रदान की है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1246 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नंबर 74 रकबा 0.1618 हैक्टयर, खसरा नंबर 75 रकबा 0.2103 हैक्टयर, खसरा नंबर 80 रकबा 0.1214 हैक्टयर, खसरा नंबर 82 रकबा 0.4530 हैक्टयर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.4045 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.9982 हैक्टयर में 1/12 हिस्सा, व खसरा नंबर 104 रकबा 1.7960 हैक्टयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नंबर 76 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नंबर 79 रकबा 0.0485 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.6940 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 हिस्सा, व खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 वां हिस्से के राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदार पदमसिंह पुत्र चैनसिंह के स्थान पर वादी सं. 1 व 2 भारतसिंह पुत्र गणपतसिंह, श्रीमति उदयकंवर पत्नी गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया मीठापुर की राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/2/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादीगण — भारतसिंह

बनाम

प्रतिवादीगण — माधूसिंह वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 25/2023

निर्णय **दिनांक :–** 5/2/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री प्रकाश राठौड अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1246 रकबा 0.6472 हैक्टयर, खसरा नंबर 74 रकबा 0.1618 हैक्टयर, खसरा नंबर 75 रकबा 0.2103 हैक्टयर, खसरा नंबर 80 रकबा 0.1214 हैक्टयर, खसरा नंबर 82 रकबा 0.4530 हैक्टयर, खसरा नंबर 93 रकबा 0.4045 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 1.9982 हैक्टयर में 1/12 हिस्सा, व खसरा नंबर 104 रकबा 1.7960 हैक्टयर, खसरा नंबर 42 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा नंबर 76 रकबा 0.6068 हैक्टयर, खसरा नंबर 77 रकबा 0.1456 हैक्टयर, खसरा नंबर 78 रकबा 0.0809 हैक्टयर, खसरा नंबर 79 रकबा 0.0485 हैक्टयर कुल खसरा 6 कुल रकबा 2.6940 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 हिस्सा, व खसरा नंबर 2241/103 रकबा 20.7832 हैक्टयर में दर्ज 2093/290200 वां हिस्से के राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदार पदमसिंह पुत्र चैनसिंह के स्थान पर वादी सं. 1 व 2 भारतसिंह पुत्र गणपतसिंह, श्रीमति उदयकंवर पत्नी गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया मीठापुर की राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा

तीज — मुबलिग — बाबत् —

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह — सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक —की अदा करे। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 5/2/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर० तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा